न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास एल.एन.सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 10/2018/अपील/आर्म्स एक्ट/झालावाड

दायरा दिनांकः 2.7.2018

अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट,1959

उनवान

रामनारायण आत्मज जानकीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम नागोनिया तहसील व थाना खानपुर जिला झालावाड।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक 26.4.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 49/17 उनवान राज0 सरकार जरिये जिला मजि0 झालावाड बनाम रामनारायण मे पारित निर्णय दिनांक 17.1.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1026/82 को अवधि 1.1.2016 से 31.12.2018 तक नवीनीकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किये जाने पर पुलिस अधीक्षक झालावाड की रिपोर्ट अनुसार अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध एक प्रकरण दर्ज होने से अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने की अनुशंसा नही की जाने के मध्यनजर आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 के तहत जिला मजि0 झालावाड द्वारा अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र निरस्त कर शस्त्र को संबधित थाने मे जमा करने का आदेश क्रमांक 1685 दिनांक 16.3.2017 (क्रम सं0 1 के संदर्भ मे) पारित किया गया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा अपील सं0 27/17 इस न्यायालय मे पेश की गई जिसे निर्णय दिनांक 22.5.2017 से आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त कर प्रकरण पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया गया। न्यायालय हाजा के उक्त रिमांड आदेश की परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय ने तत्समय पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा दिनांक 20.6.2016 को प्रेषित रिपोर्ट मे लाईसेन्स नवीनीकरण किया जाना उचित नही होना वर्णित करते हुये असहमति व्यक्त किये जाने पर ही शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1026/82 को निरस्त किया गया था। तत्समय की गई पुलिस रिपोर्ट को दरकिनार कर शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किया जाना उपयुक्त नही होने से पूर्व मे पारित आदेश संख्या 1685 दिनांक 16.3.2017 (क्रम सं0 1 के संदर्भ मे) को जेरअपील निर्णय दिनांक 17.1.2018 से यथावत रखा गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः उक्त निर्णित प्रकरण को आधार मानते हुये पूर्व मे पारित आदेश दिनांक 16.3.2017 को यथावत रखा है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है क्योंकि अपीलांट का अनुज्ञापत्र पूर्व मे समय–समय पर नियमानुसार नवीनीकरण होता आ रहा है। सन् 1982 से लेकर आज तक अपीलांट ने अनुज्ञापत्र मे वर्णित शस्त्र का दुरूपयोग नही किया है। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 20.6.2016 अनुसार भी मुकदमा सं0 18/84 का निर्णय दिनांक 3.7.92 को हो चुका है जिसको करीब 25 वर्ष हो चुके है। पिछले 25 वर्ष के दौरान अपीलांट के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज नही है। ऐसी स्थिति मे 25 वर्ष पूर्व निर्णित प्रकरण को आधार मानकर अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण नही करना अवैधानिक है जबकि 25 वर्ष के दौरान कोई भी प्रकरण दर्ज नही होने के कारण अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण मे कोई कानूनी बाधा नही थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू पर कोई गौर नही किया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

दिनांक 17.1.2018 निरस्त किया जावे एंव अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1026/82 को दिनांक 1.1.2016 से 31.12.2018 की अवधि के लिये नवीनीकरण करने के आदेश प्रदान किये जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे दिनांक 08.04.2019 को बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे पूर्व मे प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 20.6.2016 को ही आधार मानकर जेरअपील निर्णय दिनाक 17.1.2018 से पूर्व आदेश संख्या 1685 दिनांक 16.3.2017 को यथावत रखने मे त्रुटि की है। पुलिस रिपोर्ट मे दर्ज मुक0 सं0 18/84 धारा 325, 34 आईपीसी मे अपीलांट को न्यायालय द्वारा दिनांक 3.7.92 को एक वर्ष के लिये नेकचलनी हेतु 1000 रूपये के जमानत मुचलके पर पाबन्द किया गया था। जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है तथा उक्त निर्णय के पश्चात अपीलांट का लाईसेन्स दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकरण किया जाता रहा है। अन्य कोई आपराधिक प्रकरण अपीलांट के विरूद्ध दर्ज नही है ऐसी स्थिति मे अब 25 वर्ष पुराने मुकदमे के आधार पर पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा लाईसेन्स नवीनीकरण की अनुशंसा नही करने का कोई न्यायोचित आधार नही है जबकि 25 वर्ष की अवधि के दौरान कोई भी आपराधिक प्रकरण अपीलांट के विरूद्ध दर्ज नही हुआ है ऐसी स्थिति मे लाईसेन्स 4. नवीनीकरण मे कोई कानूनी बाधा नही थी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे तथ्यो का समुचित परीक्षण किये बिना पुलिस अधीक्षक की उक्त रिपोर्ट को आधार मानकर जेरअपील आदेश दिनांक 17.1.2018 से पूर्व पारित आदेश दि 16.3.2017 (क्रम सं0 1 के संदर्भ मे) को यथावत रखने मे कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अनु0 नवीनीकरण के आदेश अधीनस्थ न्यायालय को प्रदान किये जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे प्रकट किया कि अपीलांट के विरूद्ध एक प्रकरण दर्ज होने से पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा नवीनीकरण की अनुशंसा नही की गई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का आर्म्स अनुज्ञापत्र पूर्व मे आदेश क्रमांक 1685 दिनांक 16.3.2017 (क्रम सं0 1 पर दर्ज) से निरस्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक झालावाड की पूर्व रिपोर्ट दिनांक 20.6.2016 के परिपेक्ष्य मे ही अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण किया जाना उचित नही मानते हुये जेरअपील निर्णय दिनांक 17.1.2018 से पूर्व आदेश को यथावत रखा है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1026/82 को आगामी अवधि दिनांक 1.1.16 से 31.12.18 तक नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने उपरांत नवीनीकरण के संबध मे पुलिस अधीक्षक झालावाड से अपीलार्थी के चाल चलन एवं आपराधिक गतिविधियों के संबध मे रिपोर्ट प्राप्त की गई। पुलिस अधीक्षक झालावाड से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 20.6.2018 अनुसार आवेदक के विरूद्ध मुक0 नं0 18/84 धारा 325, 34 आईपीसी के दर्ज प्रकरण मे न्यायालय द्वारा दिनांक 3.7.1992 को एक वर्ष के लिये नेक चलनी हेतु 1000 रूपये के जमानत मुचलके पर पाबन्द किया जाना वर्णित करते हुये आर्म्स लाईसेन्स नवीनीकरण किया जाना उचित नही होना वर्णित किया गया। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का लाईसेन्स पूर्व आदेश क्रमांक 1685 दिनांक 16.3.2017 (क्रम सं0 1 पर दर्ज) से निरस्त किये जाने उपरांत अपीलार्थी द्वारा अपील सं0 27/17 प्रस्तुत की गई। न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 22.5.2017 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त कर प्रकरण पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया गया। न्यायालय हाजा के उक्त रिमांड आदेश की परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय ने तत्समय पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा दिनांक 20.6.2016 को प्रेषित रिपोर्ट मे लाईसेन्स नवीनीकरण उचित नही होना वर्णित करते हुये असहमति व्यक्त किये जाने पर ही शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1026/82 को निरस्त किया गया था। तत्समय की गई पुलिस रिपोर्ट को दरकिनार कर शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किया जाना उपयुक्त नही होने से पूर्व मे पारित आदेश संख्या 1685 दिनांक 16.3.2017 (क्रम सं0 1 के संदर्भ मे) को जेरअपील निर्णय दिनांक 17.1.2018 से यथावत रखा गया। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट मे वर्णित मुकदमें का दिनांक 3.7.92 को न्यायालय से निर्णय हो चुका है जिसको लगभग 25 वर्ष हो चुके है तथा इस अवधि के मध्य अपीलार्थी का आर्म्स अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकरण किया जाता रहा है अन्य कोई आपराधिक प्रकरण इस अवधि मे दर्ज नही हुये है, शस्त्र के दुरूपयोग संबधी कोई प्रकरण नही है ऐसी स्थिति मे लाईसेन्स नवीनीकरण किये जाने मे कोई कानूनी बाधा नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया तथा प्रकरण मे पूर्व मे दिनांक 20.6.2016 को पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा प्रेषित रिपोर्ट को ही आधार बनाकर जेरअपील आदेश पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अपीलांट के तर्क के संबध मे यह स्पष्ट होता है कि पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अपीलांट के विरूद्ध उक्त वर्णित एक प्रकरण दर्ज होने के आधार पर लाईसेन्स नवीनीकरण किया जाना उचित नही होना वर्णित किया गया जिसके आधार पर पूर्व मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश क्रमांक 1685 दिनांक 16.3.2017 से अपीलांट का लाईसेन्स निरस्त किया गया जिसे जेरअपील निर्णय दिनांक 17.1.2018 से यथावत रखा गया है। प्रकरण मे यह तथ्य विवेचनीय है कि जिस प्रकरण के आधार पर पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा लाईसेन्स नवीनीकरण की अनुशंसा नही की गई वह मुक0 सं0 18/84 न्यायालय से दिनांक 3.7.1992 को निर्णित हो चुका है जिसमे एक वर्ष के लिये नेकचलनी हेतु 1000 रूपये के जमानत मुचलके पर पाबन्द किया है। उक्त मुकदमे का निर्णय हुये लगभग 25 वर्ष हो चुके है तथा इस अवधि मे दिनांक 31.12.2015 तक समय–समय पर शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण किया जाता रहा है। अतः उक्त तथ्यो के आलोक मे एक प्रकरण के दर्ज होने से पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा दिनांक 20.6.2016 को प्रेषित रिपोर्ट मे लाईसेन्स नवीनीकरण किया जाना उचित नही होना वर्णित किया जाना न्यायोचित आधार नही ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त तथ्यो का समुचित परीक्षण नही किया तथा ना ही न्यायालय हाजा के रिमांड निर्देशों के परिपेक्ष्य मे पुलिस अधीक्षक झालावाड से कोई रिपोर्ट ही प्राप्त की गई बल्कि पुलिस अधीक्षक झालावाड की प्रकरण मे पूर्व प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 20.6.2016 को ही आधार मानकर जेरअपील निर्णय दिनांक 17.1.2018 पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि कारित किया जाना प्रकट होता है। फलत् उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 49/17 उनवान राज0 सरकार जरिये जिला मजि0 झालावाड बनाम रामनारायण मे पारित निर्णय दिनाक 17.1.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि उक्त विवेचित तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपीलार्थी के चाल–चलन तथा आपराधिक गतिविधियों एवं शस्त्र की आवश्यकता/औचित्य के संबध मे वर्तमान वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें।

6 निर्णय आज दिनांक 26.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(एल. एन. सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा